अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सत्र के अवसर पर मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बजट सत्र का आयोजन नव वर्ष के आरम्भ में किया जा रहा है अतः मैं आप सभी को और आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देती हूँ।

2. प्रदेश सरकार ने 30 दिसम्बर, 2011 को अपने शासन के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि के दौरान प्रदेश में समग्र विकास तथा समाज के कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से किए सभी वायदों को पूरा ही नहीं किया है बल्कि इससे भी आगे बढ़कर अनेक कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है। आम आदमी को सबसे पहले लाभान्वित करना प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु रहा है।

3. राज्य सरकार ने इन चार वर्षों में अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं जिसके लिए भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय ऐजैंसियों तथा देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रदेश को 58 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। इन उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है ।

4. लोगों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'हिमाचल प्रदेश लोकसेवा गारन्टी विधेयक 2011' विधान सभा में पारित किया गया जिसके अन्तर्गत आम जनता को समयबद्ध सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये अभी तक 12 विभागों द्वारा अपनी सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इन विभागों में पशुपालन, कृषि, वन, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उद्योग, शहरी विकास, नगर नियोजन, राजस्व, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अग्निशमन तथा पंचायती राज प्रमुख हैं।

5. मेरी सरकार लोगों की समस्याओं के निवारण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। जन शिकायतों के तुरन्त निपटारे हेतु वर्ष 2008 से वैब आधारित ई–समाधान प्रणाली शुरू की गई है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है। सरकार ने आम आदमी की सुविधा के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में सुगम केन्द्र स्थापित किए हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर–द्वार पर करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न भागों में 'प्रशासन जनता के द्वार'

कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तर पर 117 तथा उप–मण्डल स्तर पर 556 शिविर लगाए गए। महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु प्रत्येक विभाग में महिला अधिकारी की देख–रेख में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2012 तक प्राप्त कुल 22,415 शिकायतों एवं 12,484 मांगों में से 20,643 शिकायतों तथा 9899 मांगों का निपटारा किया गया है। सरकार ने प्रदेश में राज्य, ज़िला एवम् उप–मण्डल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है। सभी विभागों में जन शिकायत निवारण हेतु ज़िला, उप–मण्डल, तहसील एवम् खण्ड स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं तथा विभागाध्यक्षों को उनके विभाग से सम्बंधित सभी जन–शिकायतों के निवारण हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

6. समाज के कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2011–2012 के दौरान 410 लोक अदालतों का आयोजन कर 10,345 मुकदमों का निपटारा किया गया। इस अवधि में राज्य में 187 विधिक साक्षरता शिविरों में 18,112 लोगों ने भाग लिया। वर्ष में कुल 629 लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई।

7. प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में 31 मार्च, 2011 तक 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके अनुबन्ध कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को रिक्त पदों के प्रति नियमित करने के निर्देश ज़ारी किए हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों तथा संवेदनशील पदों पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति विवरणियां सम्बन्धित विभागों की वैबसाइट पर डाली जा रही हैं।

8. सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु प्रभावी पग उठाए गए हैं। प्रदेश में रेल विस्तार के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली–लेह रेल–लाइन को भारत सरकार से स्वीकृति दिलवाने के लिए भी प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है। वित्त वर्ष 2011–12 में नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ.कार्यक्रम के अर्न्तगत विकासात्मक कार्यों हेतु 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रदेश को प्रथम आंका गया है ।

9. प्रदेश सरकार समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु वचनबद्ध है। इन वर्गो के कल्याण बारे तीव्रता लाने हेतु प्रदेश सरकार ने

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग अलग से सृजित किया है । सरकार ने बुजुर्गों, बच्चों, विकलांग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु अनेक नीतिगत फैसले लिए हैं। वर्तमान में 2 लाख 77 हजार 817 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है जिसमें से 10,535 नये मामले इस वर्ष में स्वीकृत किए गए हैं। इस पर कुल 112.32 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

10. सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को पढाई जारी रखने हेतु प्रथम कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 150 रुपये से 900 रूपये तक की सीमा को बढ़ाकर 350 रूपये से 2000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है । चालू वित वर्ष में इस योजना पर 52.65 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु चयनित औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 1000 रुपये मासिक दर से भत्ता दिया जा रहा है।

11. प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े घोषित क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यों को विशेष उप–योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए विशेष महत्व दे रही है1 वर्तमान वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु 816 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि वित वर्ष 2010–11 के प्रावधान से 11 प्रतिशत अधिक है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को मकान बनाने हेतु गृह अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत नये मकान बनाने हेतु प्रति व्यक्ति 48,500 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है।

12. प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में 'मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना, 2011' लागू की है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा 200 आबादी वाले दो गाँवों का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित गाँव को 10 लाख रुपये की राशि समग्र विकास हेतु दी जाएगी।

13. प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है । योजनाओं को सही ढंग से लागू करने तथा महिलाओं एवं बच्चों को समय से लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वतन्त्र 'महिला एवं बाल विकास विभाग' की स्थापना की गई है।

14. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 'माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना' शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत एल.पी.जी. गैस कनैक्शन पर कुल लागत का 50 प्रतिशत उपदान के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है । वर्ष 2011–12 में लगभग 5100 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा ।

15. सोलन, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा ज़िलों में कार्यान्वित की जा रही 'राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 1 लाख 56 हजार 772 किशोरियां लाभान्वित हो रही हैं जिसके लिए 7.02 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

16. प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, सिचाँई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन विभाग में 'जैन्डर बजेट्टिंग' लागू किया है। आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 18,352 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 177 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। सरकार ने 83 अतिरिक्त मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2011–12 में 4 लाख 24 हजार 795 बच्चों तथा 1 लाख 2 हजार 73 गर्भवती अथवा धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार प्रदान किया गया है।

17. शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश ने महिला साक्षरता दर में शानदार बढ़ोतरी दर्ज़ की है। महिला साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 68.08 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011 में बढ़कर 76.60 प्रतिशत हो गई है। राज्य की कुल साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत हो गई है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 90.83 प्रतिशत है।

18. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर नगण्य है तथा 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की पाठशाला में नामांकित होने की दर लगभग शतप्रतिशत पहुंच गई है । राज्य ने 'निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009' के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने हेतु आवश्यक पग उठाए हैं।

19. प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011–12 में 889 अध्यापकों की भर्ती की तथा 1313 जे.बी.टी., 1980 प्रशिक्षित स्नातक एवम् 1370 सी. एण्ड वी. अध्यापकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की जोकि अग्रिम चरण पर है। 1270 ग्रामीण विद्या उपासकों को नियमित कर दिया गया है तथा सेवारत 3539 प्राथमिक सहायक अध्यापकों हेतु जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थानों में

प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। अनुबन्ध अध्यापकों, पैरा–अध्यापकों एवम् प्राथमिक सहायक अध्यापकों को अवकाश का वेतन प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा अंशकालीन जलवाहकों को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक एवम् माध्यमिक पाठशालाओं में नीति के अनुसार 801 अंशकालीन जलवाहकों के पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

20. प्रारम्भिक पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को 'मध्याह्न भोजन योजना' के अर्न्तगत प्रतिदिन पका हुआ भोजन प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 18,211 चिन्हित अपंग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इन बच्चों में से 15,700 मंदबुद्धि एवम् साधारण अपंगता वाले बच्चों को औपचारिक पाठशालाओं में प्रवेश दिया गया है। पाठशाला से बाहर विशेष आवश्यकता वाले 2511 बच्चों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 530 गम्भीर अपंगता वाले बच्चों को 24 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विशेष घरेलू आधारित शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में ज़िला शिमला, मण्ड़ी एवम् धर्मशाला में 46 गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए विशेष देखभाल केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 146 विशेष शिक्षक लगाए गए हैं।

21. प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 में राजकीय महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये तथा उच्च माध्यमिक पाठशालाओं एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में भवनों के निर्माण हेतु 12.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 850 राजकीय उच्च पाठशालाएं, 1276 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा पाँच संस्कृत कॉलेज, एक बी.एड. कालेज के अलावा 72 राजकीय महाविद्यालय गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2009–10 में 18,000 पद तथा वर्ष 2011–12 में 5,000 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान 1817 शिक्षक पदोन्नत भी किये गये । सभी वर्गों के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 14 छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए वर्ष 2011–12 में प्रदेश सरकार ने 11.48 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है जिससे 1.40 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होगें । सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत 968 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा 1268 कॅम्प्यूटर शिक्षक लगाए गए।

22. प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बी.पी.एल. परिवारों से सम्बन्धित छात्रों को छठी से दसवीं कक्षा तक

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें प्रदान कर रही है। वर्ष 2011–12 में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 9.61 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई जिससे 1 लाख 38 हजार 704 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

23. उच्च शिक्षा के अंतर्गत निजी संस्थानों एवं निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियमन आयोग' की स्थापना की गई है।

24. राज्य में तकनीकी, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सुन्दरनगर ज़िला मण्डी में सरकारी क्षेत्र में तथा 17 इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में चल रहे हैं। एक बी.फार्मेसी महाविद्यालय, रोहडू में सरकारी क्षेत्र में तथा 12 बी. फार्मेसी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में चल रहे हैं। 10 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर, हमीरपुर, रोहडू, कण्डाघाट, कांगड़ा, अम्बोटा, बनीखेत, चम्बा, तलवाड़ और प्रगतिनगर में तथा 19 बहुतकनीकी एंव एक डी.फार्मेसी संस्थान निजी क्षेत्र में चल रहे हैं। इस समय राज्य में 84 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरकारी क्षेत्र में तथा 117 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थापित किया जा चुका है। ज़िला शिमला के प्रगतिनगर में अटल बिहारी वाजपेयी इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंव टैक्नोलोजी अगस्त, 2011 से आरम्भ कर दिया गया है जिसमें 3 सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स शुरु किए गए हैं तथा बी.टैक कक्षाएं आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरु की जानी प्रस्तावित हैं।

25. शैक्षणिक सत्र 2012–13 से बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति ज़िलों में पाँच नये बहुतकनीकी संस्थान खोले जाने प्रस्तावित है। 2 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खुण्डियाँ, ज़िला कांगड़ा तथा दलाश, ज़िला कुल्लू में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए तथा शैक्षणिक सत्र 2011–12 से आरम्भ किए जा चुके हैं। राज्य के तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स के रूप में अपग्रेड किया गया है । राज्य के 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत अपग्रेड किया गया है जिसके लिए कुल 80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है।

26. मेरी सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवांए उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। इस दिशा में गत 4 वर्षों के दौरान किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरुप हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य क्षेत्र में देश भर में अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। प्रदेश ने मातृ–शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता और रोगों की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण

उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मातृ–शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मेरी सरकार ने 'मातृ सेवा योजना' आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की जा रही है। गत वर्ष राज्य में 17,000 से अधिक महिलाएं व नवजात शिशु इस योजना से लाभान्वित हुए हैं जिसके परिणामस्वरुप राज्य में संस्थागत प्रसव की दर 50 प्रतिशत से बढ़ कर 71 प्रतिशत हो गई है।

27. लोगों को आपात स्थिति में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 के अन्त में 'अटल स्वास्थ्य सेवा योजना' आरम्भ की है। वर्ष 2011–12 में एक लाख से अधिक रोगियों ने इसका लाभ उठाया है जिसमें 20 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं थीं। सरकार ने राज्य में 'मुख्य मंत्री विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम' आरम्भ किया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। अब तक 10 लाख विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जाँच की जा चुकी है। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.35 लाख परिवारों को लाया गया है। गत 3 वर्षों में योजना के अन्तर्गत 25.88 करोड़ रुपये खर्च किये गये । प्रदेश सरकार ने 'दीन दयाल निःशुल्क औषधि योजना' आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को 38 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

28. सरकार ने वर्ष 2011–12 में स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से 300 चिकित्सा अधिकारियों, 60 दन्त चिकित्सकों तथा 100 पैरामैडिकल स्टाफ के पद भरे हैं। स्टाफ नर्सों के 256 पद तथा फार्मासिस्टों के 238 पद भरे जा रहे है । सरकार ने डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एम.बी.बी.एस. की सीटों को 115 से बढ़ाकर 200 तथा स्नातकोत्तर सीटों को 39 से बढ़ाकर 110 किया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेश्यिेलिटी एम.सी.एच. तथा डी.एम. के पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

29. राज्य में आयुर्वेदिक संस्थानों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से लोगों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्तियाँ भी शीघ्र की जा रही हैं। राज्य के सोलन, कुल्लू व केलंग स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालों व 27 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर आम लोगों को समर्पित कर दिया गया है। 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना की क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलयाली, ज़िला कांगड़ा को 10 बिस्तरों की क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में अपग्रेड किया गया है ।

वर्ष 2011–12 में प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में आठ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

30. आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ की गई हैं। जोगिन्द्रनगर में फार्मेसी कॉलेज तथा द्रवगुण में सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस स्थापित किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 250 पद भरे जा रहे हैं तथा 300 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों को भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

31. हिमाचल प्रदेश में रेल व हवाई सेवाओं के अभाव के मध्यनजर सड़कों का राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदानरहा है। प्रदेश सरकार ने सदैव ही सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। राज्य में वर्तमान में 32,247 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें हैं। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 2991 पंचायतों को मोटर योग्य सड़को से जोड़ा जा चुका है, शेष पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार द्वारा चार वर्षों में 3442 कि.मी. मोटर योग्य सड़कों तथा 250 पुलों का निर्माण कर 960 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया। इस अवधि में 5590 कि.मी. सड़कों पर जल निकासी का कार्य किया गया, 3119 कि. मी. सड़कों को पक्का किया गया तथा 5915 कि.मी. सड़कों पर 'पीरियोडिकल रिन्युअल' किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान 380 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों व 30 पुलों का निर्माण किया गया।

32. 'प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना' के तहत 1829 सड़कों के निर्माण हेतु 1935.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। नाबार्ड को विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु 386.46 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिर्पोट भेजी गई हैं। नाबार्ड से 86 सडकों और 14 पुलों की परियोजनाओं के लिए 255.28 करोड की राशि प्राप्त हुई है। दिसम्बर 2011 तक 115.13 करोड़ रुपये खर्च कर 74 परियोजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं। विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक 1544.92 करोड़ रुपये की 775 योजनाओं को नाबार्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

33. सरकार द्वारा पथ परिवहन सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश भर में नए व पुराने सभी किस्म के वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण नम्बर प्लेट लगाने का कार्य प्रगति पर है जो 15 जून 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 163.02 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया जो लक्ष्य से अधिक है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ऑन–लाईन अग्रिम

सीट आरक्षण सुविधा शुरु की गई है। शिमला का टूटीकण्डी स्थित अत्याधुनिक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा 29 अगस्त 2011 को प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया गया है। मण्डी में 17.75 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे शीध्र पूर्ण करने का लक्ष्य है । हमीरपुर, ऊना व परवाणु में आधुनिक बस अड्डों का निर्माण बी.ओ.टी. के आधार पर करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ बनाकर बेरोज़गारों युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'मुख्य मंत्री ग्रामीण पथ परिवहन योजना' आरम्भ की गई है।

34. सरकार का मानना है कि जल विद्युत क्षमता हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी सरकार ने जब चार वर्ष पूर्व सत्ता सम्भाली थी, उस समय राज्य की विद्युत क्षमता 6393 मैगावाट थी। इस वित्त वर्ष के अन्त तक प्रदेश में 2431 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता का दोहन हो जाएगा जो अभूतपूर्व उपलब्धि है । प्रदेश सरकार ने पिछले चार सालों में विद्युत विकास में आने वाली बाधाओं का क्रमबद्ध ढंग से समाधान किया है। जैसे ही वर्तमान सरकार सत्ता में आई, 5 मैगावाट से ऊपर की सभी परियोजनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से आंबटन सुनिश्चित करवाया। हमने निविदा प्रणाली का सरलीकरण तथा वर्ष 2011–12 में 1325 मैगावाट की 17 परियोजनाओं का आबंटन करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि पूर्व की भान्ति इस बार कोई कानूनी अड़चन सामने न आए।

35. प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु भी कदम उठाए हैं ताकि उन्हें परियोजनाओं में भागीदार बनाया जा सके। अक्तूबर, 2011 में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दिशा निर्देश जारी किए गए जिसमें परियोजना से प्राप्त एक प्रतिशत मुफ्त बिजली की आय को वार्षिक तौर पर परियोजना प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को आबंटित करना सुनिश्चित किया गया है।

36. सरकार ने प्रत्येक नदी घाटी से विद्युत ट्रांसमिशन हेतु एक वृहद् योजना तैयार की ताकि ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या को कम से कम रखा जा सके तथा साथ ही अगले 15 वर्षों में तैयार होने वाली परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस हेतु हज़ारों करोड़ रुपये की राशि का निवेश भी उपलब्ध हो । सरकार पांगी, लाहौल–स्पिति तथा किन्नौर क्षेत्रों से विद्युत ट्रांसमिशन हेतु बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को समयबद्ध तरीके से निवेश करने हेतु मनाने में सफल हुए हैं। अन्तर्राज्यीय प्रणाली हेतु रावी, ब्यास, सतलुज व यमुना घाटियों के लिए हम हि.प्र. पावर संचार निगम

के लिए एशियन डवलपमैंट बैंक से 350 मिलियन डॉलर की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हुए हैं। गत चार वर्षों में राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर 257.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

37. प्रदेश सरकार राज्य में उपलब्ध मिनी तथा माइक्रो जल–विद्युत क्षमता के दोहन के प्रति वचनबद्ध है। राज्य में 5 मैगावाट तक की 1500 मैगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के दोहन को प्राथमिकता दी जा रही है। अभी तक राज्य में 1170.03 मैगावाट की कुल 466 परियोजनाएं निजी क्षेत्र में आबंटित की गई हैं जिसमें से अभी तक 161.05 मैगावाट क्षमता की 45 परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरु हो गया है। यू.एन.डी.पी. अथवा सरकारी क्षेत्र में आबंटित 9 परियोजनाएं भी विद्युत उत्पादन कर रही हैं। निजि क्षेत्र में आबंटित 16.50 मैगावाट क्षमता की 4 परियोजनाओं ने वर्तमान वित्त वर्ष में विद्युत उत्पादन शुरु कर दिया है तथा अन्य 10 परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 40 मैगावाट है, से इस वित्त वर्ष में विद्युत उत्पादन शुरु होने की सम्भावना है। इस वर्ष में लाहौल घाटी में 400 किलोवाट क्षमता की बिलिंग परियोजना ट्रायल आधार पर चलाई गई जो शीघ्र ही विद्युत उत्पादन शुरु कर देगी। शिमला तथा हमीरपुर शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा इन दोनों शहरों के लिए मास्टर प्लान के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य में दो राज्य स्तरीय उर्जा पार्कों डॉ. यशवन्त सिंह परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की स्थापना की जा रही है जिसका कार्य वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्ण करने का लक्ष्य है।

38. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता देती आई है ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की आमदनी मे वृद्धि हो सके । प्रदेश सरकार ने 'पण्डित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना' का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। योजना के अंतर्गत 36.18 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को पॉलीहाऊस खेती के अन्तर्गत तथा 5004 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया गया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के अन्तर्गत किसानों को 1.25 लाख 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' वितरित किए गए हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में 33,500 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। प्रदेश में किसानों को गुणात्मक बीज उपलब्ध करवाने के लिए 'बीज ग्राम कार्यक्रम' लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 900 गाँवों के 1 लाख 58 हजार 760 किसानों के 36,226 हैक्टेयर क्षेत्र को बीज उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया है। प्रदेश में विस्तार सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को तकनीक हस्तातंरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ज़िले में कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण स्थापित किए गए हैं।

39. हिमाचल प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में अब तक 2.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी में विविधता लाने के उद्देश्य से 4,000 हैक्टेयर क्षेत्र को विविध फलों के अन्तर्गत 37 हैक्टेयर क्षेत्र को फूलों की खेती के अन्तर्गत तथा 107 हैक्टेयर क्षेत्र को औषधीय पौधों की खेती के अन्तर्गत लाया जा रहा है। प्रदेश में लाभकारी फलों जैसे अनार, पपीता, कीवी तथा स्ट्राबैरी की खेती पर बल दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में व्यवसायिक फूलों की खेती एक प्रमुख लाभप्रद गतिविधि के रूप में उभरी है तथा राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 77 करोड़ रुपये मूल्य के फूलों का उत्पादन हो रहा है।

40. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए रबी फसल 2011 में 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत तीन अतिरिक्त विकास खण्डों को शामिल किया गया है जिससे योजना के अन्तर्गत कुल 27 विकास खण्ड शामिल हो गए हैं। ओलावृष्टि के प्रकोप से फसलों के बचाव हेतु सरकार द्वारा शिमला ज़िले के तीन ओला प्रभावित क्षेत्रों में 'एन्टी हेल गन प्रणाली' को लगाया गया है जिसका परीक्षण जारी है। सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में सेब के पुराने बागीचों के नवीनीकरण हेतु 1050.75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है।

41. फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती से प्रदेश के निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आया है। वर्तमान वर्ष में लघु सिंचाई के अन्तर्गत 312.5 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र तथा जल संग्रहण टैंकों का निर्माण करके 552 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। बागवानों को गुणवत्तायुक्त पौध–सामग्री की आपूर्ति हेतु निजि क्षेत्र में 2 बड़ी पौधशालाएं, 8 छोटी पौधशालाएं तथा एक टिशूकल्चर इकाई की स्थापना की गई है। इस वर्ष बागवानी मिशन के अन्तर्गत अभी तक 35 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा 9062 बागवानों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में फलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के आयात की प्रक्रिया आरम्भ की गई है तथा वर्तमान शरद् ऋतु में सेब, नाशपाती तथा चैरी के 44,750 उन्नत फल पौधों का आयात किया जा रहा है।

42. प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी में पशुधन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में 2137 पशु चिकित्सा संस्थानों तथा 'मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना' के अन्तर्गत खोले गए 1012 पशु औषधालयों के माध्यम से बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने 'मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष 812 पशु औषधालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

43. 'राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना' के अन्तर्गत 290 लाख रुपये की लागत से पालमपुर में पहली भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का निर्माण शुरु किया गया है। मार्गदर्शी परियोजना के रूप में पंजाब से भ्रूण ला कर राज्य के बागथन एवं कोटला बड़ोग स्थित पशु प्रजनन केन्द्रों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया जा रहा है। पालमपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक उन्नत बहुविधीय पशु चिकित्सा सेवाएं एवं कृषक क्षमता केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत रामपुर में 2.90 करोड़ रुपये की लागत से सूखा दूध पाउडर बनाने का संयत्र स्थापित किया गया है जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

44. हिमाचल प्रदेश में नदियों एवं जलाशयों में मत्स्यपालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष नये बीज फार्मों के निर्माण, पुराने बीज फार्मों पर मछली पालन क्षेत्र में वृद्धि, वाणिज्यिक ट्राऊट मछली पालन को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने तथा प्रदेश के जलाशयों से निरन्तर मत्स्य उत्पादन के लिए बीज संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में दिसम्बर 2011 तक 3126.97 लाख रुपये मूल्य की 4986.01 मीट्रिक टन मछली व 123.81 लाख मछली बीज का उत्पादन किया गया। प्रदेश सरकार ने नदियों व जलाशयों में मछली उत्पादन से जुड़े 7063 मछुआरों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया है। 'बन्द सीजन सहायता व जोखिम निधि' जैसी मछुआ कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 28.32 लाख की राहत राशि मछुआरों को प्रदान की गई है।

45. सहकारिता केवल एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का एक आन्दोलन भी है जिसमें समृद्ध समाज की स्थापना निहित है। प्रदेश में 4653 सहकारी सभाएं हैं जिनकी सदस्यता 15.01 लाख, भागधन 227.82 करोड़ रुपये, अमानतें 11,785 करोड़ रुपये व कार्यशील पूंजी 15,912 करोड़ रुपये है। सहकारी सभाओं द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर के भोजन की योजना, काम के बदले अनाज आदि, उचित मूल्य की दुकानों तथा डिपूओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 35.47 करोड़ रुपये लागत की तीन वर्षीय एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं हमीरपुर, बिलासपुर व सिरमौर जिलों में शुरु की हैं जिससे इन जिलों में सहकारी आन्दोलन सुदृढ़ होगा। राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में 8.84 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष के दौरान राज्य के सहकारी बैंकों ने 2 लाख 8 हजार 695 किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से 520.60 करोड़ रुपये के कृषि ऋण जारी किये हैं।

46. प्रदेश में उपभोक्ताओं को 4634 उचित मूल्यों की दुकानों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के 16 लाख 31 हजार 804 राशन कार्ड धारकों को गेहूं व चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुल राशन कार्ड धारकों में से 1 लाख 97 हजार 100 को अत्यन्त निर्धन के रूप में चिन्हित किया गया है जिन्हें 'अन्तोदय अन्न योजना' के अन्तर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए 'राज्य उपदान योजना' के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा नमक उचित मूल्य पर वितरित कर रही है । इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2011–12 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

47. प्रदेश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण को सुनिश्चित बनाने के लिए दिसम्बर 2011 तक 4 लाख 3 हजार 134 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोषी वितरकों, डिपू होल्डरों तथा दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई और 17.90 लाख रुपये की प्रतिभूति राशि जब्त की गई।

48. प्रदेश में माप तोल संगठन के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेची जा रही वस्तुओं के सही माप–तोल एवं उचित अंकित मूल्य को सुनिश्चित बनाया जा रहा है ।

49. सभी को स्वच्छ पेयजल तथा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी जनगणना गाँवों को पेयजल सुविधा प्राप्त है। इस वर्ष के दौरान ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत अब तक 166.71 करोड़ रुपये व्यय कर 1801 बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई । प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के अभाव को पूरा करने हेतु दिसम्बर 2011 तक 1964 हैण्डपम्पों की स्थापना की गई है।

50. कांगड़ा जिला की तहसील देहरा, खुन्डीयां, जयसिंहपुर, एवं पालमपुर के सुखाग्रस्त चंगर क्षेत्र के के लिए 68.33 करोड़ रुपये की लागत की बृहद पेयजल योजना का अक्तूबर, 2011 में लोकार्पण कर 1 लाख 62 हजार की जनसंख्या को लाभान्वित किया जा रहा है ।

51. राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत रख रखाव हेतु ग्रामीण पेयजल योजनाओं में कार्यरत 2220 जल रक्षको के मानदेय को मु0 750 रूपये से बढ़ाकर 1350 रूपये प्रतिमास कर दिया है । दूसरे चरण

में 2000 अतिरिक्त जलरक्षकों को इस प्रयोजन हेतु तैनात किया जा रहा है ।

52. शहरी पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 4 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है तथा प्रदेश के 43 शहरों में पेयजल योजनाओं का संबर्धन किया जा चुका है।

53. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी 'राज्य जल नीति' अपनाई है। मेरी सरकार जल की उपलब्धता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्षा जल संग्रहण पर बल दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सरकारी भवनों, औद्योगिक भवनों, स्कूलों, होटलों तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों के भवनों में जल संग्रहण ढांचा बनाने की योजना है।

54. प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत 51.47 करोड़ रुपये व्यय कर 559 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2242 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान 3125 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण उपायों के तहत लाया जा चुका है।

55. प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है जिसके फलस्वरूप 58 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 'महिला शक्ति अभियान' के अन्तर्गत निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि उन्हें अपने संवैधानिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्वावलंबी बनाया जा सके। नव–निर्वाचित पंचायती राज पदाधिकारियों को पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद विभागीय योजनाओं, कार्यों, प्रबन्धन तथा लेखों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्राम सभाओं को विभिन्न प्रोग्रामों के अर्न्तगत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष में पंचायत घरों के निर्माण एवं अपग्रेड करने पर 7.30 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान पंचायत संस्थानों में "ई–गवरनैंस" को विशेष अभियान के रूप से चलाया गया जिसके अन्तर्गत परिवार रजिस्टर तथा लेखा–जोखों का कम्प्यूटरीकरण इत्यादि उल्लेखनीय प्रयास है । इस वर्ष थुनाग, जिला मण्डी में 6.46 करोड़ की लागत का नया पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया ।

56. हिमाचल प्रदेश मूलतः ग्रामीण आर्थिकी प्रधान प्रदेश है। इसलिए मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण आर्थिकी के सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुशलता

विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 1142 निर्धन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 946 युवाओं को रोज़गार प्रदान किया गया जिस पर 1.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। प्रदेश में ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में 6887 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक 649 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा उन्हें 5.77 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में एवं 28.48 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण आवासीयकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है । वर्ष 2011–12 के दौरान इन्दिरा आवास योजना तथा अटल आवास योजना के अन्तर्गत कुल 5245 मकानो का निर्माण हो चुका है जिस पर 20.92 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

57. 'गुरु रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए 10 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राज्य सरकार ने यह प्रस्तावित किया है कि अनुसूचित जाति बहुल वार्ड के उन लोगों को जिनको अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नहीं लिया गया है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए। 'मातृशक्ति बीमा योजना' के अन्तर्गत बी.पी.एल महिलाओं को बीमा कवर के रूप में लाभ दिया जा रहा है । योजना के अंतर्गत इस वर्ष दिसम्बर, 2011 तक 1.21 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की कुल 1011 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता मिली है। अब पूरा प्रदेश बाह्य शौच मुक्त हो चुका है ।

58. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना' के सफल कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2011 तक 286.70 करोड रुपये व्यय कर 1.53 करोड़ कार्यदिवस सृजित किए गए हैं । इस योजना के अर्न्तगत किसानों की निजि भूमि में जल संरक्षण की एक विशेष स्कीम शुरू की गई जिसमें इस वर्ष जनवरी 2011 तक 65.12 करोड़ रुपये खर्च कर 5822 पानी के टैकों का निर्माण किया जा चुका है । 'जलागम कार्यक्रम' के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए 372.95 करोड़ रुपये की 51 नई परियोजनाएं भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी गई हैं जिससे प्रदेश के 2 लाख 48 हजार 630 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।

59. राज्य में विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। वार्षिक योजना बजट का 9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति समुदायों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत 297 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

जनजातीय उप–योजना का प्रारूप तैयार करने व समीक्षा का कार्य विकेन्द्रीकृत प्रकिया के अन्तर्गत स्थानीय विधायकों की अध्यक्षता में गठित परियोजना सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।

60. वन हमारे प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं जो हिमालयी क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील पर्यावरण में सुधार के लिए वानिकी क्षेत्र में समुचित धन की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल को 'जड़ी–बूटी राज्य' के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके लिए सरकार ने 'सांझा वन संजीवनी वन' कार्यक्रम आरम्भ किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के सहयोग से 32 लाख 50 हजार औषधीय पौधे वितरित व रोपित किए गए हैं। मनरेगा के अन्तर्गत 'वन सरोवर' योजना चलाई गई है। इसके अन्तर्गत 197 जल संग्रहण स्ट्रक्चर बनाने की योजना है जिनमें से 148 का निर्माण किया जा चुका है। सरकार ने वन सम्पदा को बचाने के लिए 11 वन थाने स्थापित किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में 6 और वन थाने स्थापित करने का लक्ष्य है।

61. प्रदेश सरकार बन्दरों की समस्या से भी भली–भान्ति परिचित है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा बन्दरों की नसबन्दी हेतु 4 केन्द्रः टूटीकण्डी (शिमला), सस्तर (हमीरपुर), गोपालपुर (कांगड़ा), तथा बौल (ऊना) में स्थापित किए हैं। पौंटा व सरोंल (चम्बा) में कार्य अन्तिम चरण में है । अब तक 42,093 बन्दरों की नसबन्दी की जा चुकी है। बर्फानी तेन्दुए के उचित संरक्षण हेतु 'बर्फानी तेन्दुआ परियोजना' स्वीकृत की गई है। संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न शरण्य क्षेत्रों का युक्तिकरण किया जा रहा है।

62. शिमला में आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना की गई है जो राज्य योजना एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष तथा भू–अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह केन्द्र सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना करने हेतु राज्य सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र' की स्थापना की है। यह केन्द्र जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि, बागवानी, वन, पर्यटन, पनबिजली आदि पर अनुसंधान को बढ़ावा देगा और विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएगा। आपदा प्रबंधन और हिमनद क्षेत्रों में सक्रिय अनुसंधान के अलावा यह केन्द्र जलवायु परिवर्तन की दिशा में उचित रणनीति विकसित करने की दिशा में भी काम करेगा। विद्यालयों, इको–क्लबों एवं सिविल सोसायटी के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा तथा कार्बन–संतुलन बनाने के लिए प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक

मूल्यांकन, जागरुकता, पक्षसमर्थन तथा कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की 100 पंचायतों को चुना गया है।

63. प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर हिमाचल प्रदेश पर्यटकों को स्वर्गिक अनुभूति प्रदान करता है। प्रदेश सरकार पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, साहसिक खेलों, धार्मिक पर्यटन आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है तथा पर्यटकों को प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों तक ले जाने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जिनसे हमारी अनूठी संस्कृति, वास्तुशिल्प तथा पर्यावरणीय धरोहर को छेड़े बिना प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। पर्यटन क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी प्रदान किये गये है ।

64. पर्यटन उद्योग में उच्चतम व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में होटल प्रबन्धन संस्थान आरम्भ किया गया है। फूड क्राफ्ट संस्थान धर्मशाला में निर्माणाधीन है जो इस वर्ष आरम्भ हो जाएगा।

65. एशियन विकास बैंक ने हमारे राज्य को पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 9.50 करोड़ अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इस सहायता से राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रथम चरण में 3.30 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि से अधोसंरचना विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

66. प्रदेश सरकार रोज़गारोन्मुखी एवं पर्यावरण मित्र उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर उद्योगीकरण को प्रमुखता प्रदान कर रही है। उद्योगों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के उद्देश्य से उद्योग की बहुलता वाले क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का आधारभूत ढाँचा विकसित किया जा रहा है। दिसम्बर 2011 के अन्त तक राज्य में 474 मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ तथा 37,935 लघु इकाइयाँ कार्यरत थीं। इन इकाइयों में 14,146 करोड़ रुपये का निवेश तथा 2.61 लाख व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त है। इस औद्योगिकीकरण में प्रदेश को जनवरी, 2003 से तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान विशेष औद्योगिक पैकेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसकी सीमा बाद में दुर्भाग्यवश 2013 से घटाकर 2010 कर दी गई। राज्य सरकार इस पैकेज को 2020 तक बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने इसे नही माना है ।

67. इस वर्ष हथकरघा क्षेत्र में 1.35 करोड़ की अनुमानित लागत से जंजैहली, ज्वाली तथा तीसा में तीन समूह भारत सरकार से स्वीकृत करवाए

गए हैं। इन समूहों से राज्य के हथकरघा बुनकरों को आधारभूत जानकारी और विपणन सहायता उपलब्ध होगी तथा 1293 बुनकर लाभान्वित होंगे।

68. रेशम पालन के क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 9,000 गरीब किसानों को 5500 औंस रेशम बीज वितरित किया गया, जिससे 177 मीट्रिक टन ककून उत्पादन किया जा सकेगा।

69. राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश में श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित कारखानों, हाइडल प्रोजेक्टों व औद्योगिक इकाइयों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगरों के कानूनी हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

70. अंसगठित क्षेत्र में भवन एंव अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगरों के कल्याण हेतु 'हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मगार नियम, 2008' बनाए गए हैं। राज्य में श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है जिसके द्वारा कामगरों के लिए पैन्शन, चिकित्सा सहायता, अपंगता पैन्शन व स्वास्थ्य बीमा इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। दिसम्बर, 2011 तक 579 संस्थान तथा लगभग 4800 कामगर पंजीकृत किए गए हैं। कार्यस्थल पर श्रमिकों के शोषण की रोकथाम कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने हेतु अभी तक 2.75 लाख कामगरों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

71. प्रदेश सरकार भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, सैनिक विधवाओं, युद्ध विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों की पत्नियों या बेटियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 5 लाख 40 हजार रुपये प्रदान किए गए। 999 शौर्य पुरस्कार विजेताओं को वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 2 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने का प्रावधान है। सैनिक वर्ग के 2839 लाभार्थियों को 330 रुपये प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पैन्शन तथा द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पैंशन प्रदान करने पर 1.97 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

72. वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 291 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। इसके अतिरिक्त 1972 भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा रक्षकों के पद पर रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम ने पूर्व सैनिकों को लाभ देने के लिए ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा एवं अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री दाड़लाघाट से सीमेंट व क्लिंकर ढुलाई का ठेका ले रखा है ताकि पूर्व

सैनिकों के ट्रकों को पूरे समय काम मिल सके। वर्तमान में भूतपूर्व सैनिकों के 1615 ट्रक इस कार्य में कार्यरत हैं।

73. प्रदेश सरकार, राज्य में आधारभूत खेलकूद अधोसंरचना को सुदृढ़ कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है ताकि राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा सके। राज्य में इण्डोर व आउटडोर स्टेडियमों का निर्माण किया गया है। हमीरपुर तथा धर्मशाला में सिंथेटिक एथेलेटिक्स ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। ऊना, शिमला व धर्मशाला में वालीबाल टेराक्लेक्स कोर्ट लगाये गये । बैडमिन्टन होवा कोर्ट शिमला, बिलासपुर, मण्डी, ऊना व धर्मशाला में स्थापित किये जा चुके है । ऊना में हाकी एस्ट्रोटर्फ स्थापित किया जा रहा है । प्रदेश के सभी ज़िलों में इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए चरणबद्ध ढंग से कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के धर्मशाला और अमतर (हमीरपुर) में हिमाचल क्रिकेट संघ के सहयोग से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया तथा लालपानी (शिमला) में क्रिकेट अकादमी स्थापित की जायेगी।

74. वर्ष 2011 के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 6151 प्रशिक्षणार्थियों को पर्वतारोहण, उच्च तुंगीय पदयात्रा, जलक्रीड़ा तथा साहसिक खेलों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सोलंग स्की ढ़लानों पर पहली बार 'ग्रास स्की कोर्स' का शुभारम्भ किया गया तथा 35 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। खेलकूद गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए रोज़गार योजना के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। गत वर्ष कुल 86 विजेता खिलाड़ियों को 61 लाख 96 हजार 800 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

75. 'पाईका' योजना के अधीन 1296 ग्राम पंचायतों व 32 ब्लॉक स्तर पर पाईका सैन्टर स्थापित किए गए हैं । योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान निर्माण के लिए एक लाख व पाँच लाख रुपये की राशि तथा ग्राम पंचायत व ब्लॉक को खेल सामान क्रय करने के लिए 10,000 व 20,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

76. प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता एवं कुशलता से जनता के घर–द्वार पर प्रदान करने के लिए ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है, जैसे कि लोकमित्र केन्द्र, जिनके माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर प्रदान की जा रही हैं। सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली का

कार्यान्वयन किया गया है। प्रदेश में 'आधार' परियोजना के अन्तर्गत 32 लाख निवासियों का पंजीकरण किया गया है।

77. प्रदेश की समृद्ध एवं पुरातन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला स्थित ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के जीर्णोद्धार के बाद इस वर्ष 236 शो किए गए तथा 3000 से अधिक कलाकारों, चित्रकारों तथा दस्तकारों को मंच प्रदान किया गया है। गेयटी में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किए जा रहे हैं जिन्हें और बढ़ावा दिया जाएगा।

78. मनाली और इसके उप–आंचल के योजनाबद्ध विकास के लिए योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली से एक दृष्टि–दस्तावेज बनवाया गया है। इसी विद्यालय के साथ एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है ताकि भरमौर, कल्पा एवं सांगला की विकास गतिविधियों की समीक्षा व सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा सके।

79. राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के प्रति सजग है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 51.88 करोड़ रुपये की राशि 49 शहरी स्थानीय निकायों को विकासात्मक कार्यों हेतु तथा 6 करोड़ रुपये सडकों, गलियों और रास्तों की मुरम्मत हेतु प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 'राजीव गांधी शहरी नवीनीकरण सुविधा' के अन्तर्गत 1.43 करोड़ रुपये पार्क एवं पार्किंग निर्माण हेतु जारी किए गए हैं।

80. 'जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना' के अन्तर्गत 12 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं जिसके तहत शहरी कूड़ा कचरा प्रबन्धन, ऑकलैण्ड हाउस शिमला स्कूल के समीप सुरंग का निर्माण, बसों की खरीद तथा शिमला शहर में पानी की पाइप एवं मल व्यवस्था के बदलाव जैसे कार्य किए जा रहे हैं। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अन्तर्गत शिमला शहर के लिए आशियाना–I और आशियाना–II आवासीय परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, नालागढ़, परवाणु, बद्दी, सुन्दरनगर व सरकाघाट की चिन्हित मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 'एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के 27 शहरों में चल रही मल निकासी योजनाओं को पूरा करने हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

81. हिमुडा द्वारा अभी तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर 12,590 मकानों व फ्लेटों तथा 4925 प्लाटों का निर्माण किया गया है। हिमुडा ने

कालूझण्डा में 'अटल शिक्षा कुंज' की स्थापना की है जहां विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं।

82. आबकारी एवं कराधान विभाग 65 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति करता है। वर्ष 2010–11 में विभाग ने 3042.92 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की जो पिछले वर्ष के मुकाबले 33.59 प्रतिशत अधिक है । एन्ट्री टैक्स अधिनियम के तहत इस वर्ष 126 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है ।

83. राज्य में सभी पात्र व्यापारियों को टिन नम्बर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ढाबों, कैन्टीन व भोजनालयों के कारोबार से जुड़े छोटे व्यापारियों के लिए पंजीकरण की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये की गई है ताकि छोटे व्यापारियों को लाभ मिल सके।

84. पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में स्थापित होने वाले रज्जू मार्गों को मंनोरंजन कर में पाँच वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है और वर्तमान में स्थापित रज्जू मार्गों पर कर की वर्तमान दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है। इस कदम से इस क्षेत्र में निवेशक आकर्षित होंगे तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।

85. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जारी रखते हुए उन के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया । राज्य सरकार ने वेतनमान संशोधन की बकाया राशि के पूर्ण भुगतान करने के आदेश जारी कर दिये है । सरकार ने कर्मचारियों को राजधानी भत्ता 175 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 275 प्रतिमाह कर दिया है । आवास भत्ते की दरें भी दुगना कर दी है । राज्य सरकार के बोर्डो/ निगमों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित, तदर्थ, अनुबन्ध, अंशकालिक एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना बीमा योजना को एक और वर्ष के लिए अनिवार्यता के आधार पर बढाने का निर्णय लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटनाओं में मृत्यु या स्थायी अपंगता के कारण 2 लाख का मुआवजा देय होगा। मैडीकल कालेज में नियुक्त अध्यापन वर्ग की सेवा निवृति 62 वर्ष कर दी गई है ।

86. राजस्व प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार के साथ जनता का सबसे अधिक सम्बन्ध रहता है। प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि इन सम्बन्धों का निर्धारित करने वाली नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाए। सरकार द्वारा तहसील स्तर पर इन्तकाल दर्ज व सत्यापन करने का आदेश कर दिये गये है। विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई हैं तथा लोक मित्र केन्द्रों से विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्रतियां जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । भू–सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के

अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश जोत तथा भूमि सुधार नियम, 1975 के नियम 38–ए में समाविष्ट की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अपात्र व्यक्ति को या गलत उपयोग के लिए अनुमति प्रदान न हो सके ।

87. हमारा प्रदेश एक शांतप्रिय राज्य है जहां सभी धर्म और वर्गों के लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रह रहे हैं। प्रदेश में कानून–व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था संतोषजनक एवं नियंत्रण में रही है । हिमाचल प्रदेश के निर्वासियों एवं आगन्तुकों में सुरक्षा का आभास पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हुआ है।

88. गृहरक्षक एवं नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तर का प्रशिक्षण केन्द्र शिमला के समीप सरगीण में निर्माणाधीन है । अग्निशमन विभाग तथा अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

89. समाज में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति का अधिहरण और जब्ती) विधेयक, 2011' अधिनियमित किया है जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति अपेक्षित है । आपराधिक मामलों एवं विभागीय जाँचों आदि की प्रगति की नियमित तौर पर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मेरी सरकार प्रदेश में भष्ट्राचार को जड़ से समाप्त करने के लिए बचनबद्ध है ।

90. इन शब्दों के साथ मैं अपने अभिभाषण को समाप्त करना चाहूंगी। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बजट सत्र के दौरान विचार–विमर्श में भाग लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे जो राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल